



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी जिला करौली के अधिशाषी अभियंता 3 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 23 मई, शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी करौली ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा परिवादी से उसकी फर्म मैसर्स संतोष कंस्ट्रक्शन कम्पनी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी प्रथम व द्वितीय में टेंडर प्राप्त कर 43.19 लाख रुपये के कराये गये रोड मेंटीनेन्स (पेच रिपेयरिंग) के कार्यों में से 10 लाख रुपये का बिल बनाकर 8.35 लाख का फर्म को भुगतान करने एवं शेष राशि का भी स्वयं द्वारा भुगतान कराने की कहकर बतौर कमीशन 3 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 3 लाख रुपये आज दिनांक 23.05.2025 को परिवादी को उसके लड़के सहित अपने निज आवास गंगापुर सिटी पर बुलाकर परिवादी से प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 3 लाख रुपये की राशि उसके कब्जे से मकान के अन्दर बेडरूम में बिछे डबल बेड के उपर बिछी चादर पर रखी हुई होकर बरामद होने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से उसकी फर्म द्वारा कराये गये पेच रिपेयरिंग कार्यों की 43.19 लाख में से 10 लाख रुपये का बिल बनाकर 8.35 लाख का फर्म को भुगतान करने एवं शेष राशि का भी स्वयं द्वारा भुगतान कराने की कहकर बतौर कमीशन 3 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज भरतपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह के सुपरविजन में एसीबी चौकी करौली के पुलिस निरीक्षक श्री जगदीश भारद्वाज द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी जिला करौली को परिवादी से 3 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।